**दिनांक 24.04.2026 को अपराह्न 03:30 बजे विकास आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में जल संसाधन विभाग से संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक से संबंधित कार्यवाही।**

---

बैठक में उपस्थित पदाधिकारीगण :–

1. प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, बिहार
2. ई० ब्रजेश मोहन, अभियंता प्रमुख, मुख्यालय, जल संसाधन विभाग
3. ई० वरूण कुमार, अभियंता प्रमुख, बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग
4. ई० अनवर जमील, अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन, जल संसाधन विभाग
5. ई० धर्मेन्द्र कुमार, मुख्य अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग, पटना
6. ई० कुमार अभिषेक किशोर, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1, पटना
7. ई० अवधेश कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–4, पटना
8. ई० अमरेन्द्र कुमार, अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–3, पटना
9. ई० विवेक गौरव, अधीक्षण अभियंता, बाढ़ नियंत्रण योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना
10. ई० पूर्णेन्दु कुमार, अधीक्षण अभियंता, सिंचाई योजना एवं मोनिटरिंग अंचल, पटना

**बैठक में विकास आयुक्त महोदय द्वारा निम्न निदेश दिये गये।**

1)(क) वर्ष 1994 में द्वितीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग का प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था। वर्ष 2000 में बिहार राज्य के पुनर्गठन एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव के फलस्वरूप राज्य के नदी बेसिनवार जल संसाधन की उपलब्धता का आकलन एवं उसके समुचित प्रबंधन की व्यापक समीक्षा करने, सिंचाई व्यवस्था को आधुनिकता प्रदान करने, बाढ़ नियंत्रण के नवीनत्तम तकनीकों का प्रयोग करने इत्यादि पर अनुशंसा/सुझाव प्राप्त करने हेतु तृतीय बिहार राज्य सिंचाई आयोग का गठन किया जाय। आयोग का कार्यकाल 06 माह निर्धारित किया जाय। प्रस्तावित आयोग अन्तर्गत राज्य में सिंचाई/बाढ़ से संबंधित प्राथमिकताओं के निर्धारण पर भी सुझाव प्राप्त किया जाय।

(ख) जल संसाधन विभाग के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं/विशेषज्ञों को भी आयोग में शामिल किया जाय।

2)(क) जल संसाधन विभाग द्वारा की जा रही मनरेगा (VB-G RAM G) से संबंधित योजनाओं की समीक्षा हेतु सभी संबंधित जिला पदाधिकारियों के साथ मई माह के तृतीय सप्ताह में बैठक निर्धारित किया जाय।

(ख) प्रत्येक जिले के लिए एक मनरेगा प्रमंडल नामित किया जाय।

3)(क) गंगा जलापूर्ति–2 योजना अन्तर्गत मधुवन जलाशय के निर्माण हेतु विभागीय नहरों के चाट लैंड की जमीन वन विभाग को Compensatory afforestation हेतु हस्तांतरित करने पर विचार किया जाय।

(ख) बरनार जलाशय हेतु नहरों के चाट लैंड से भूमि Compensatory afforestation हेतु हस्तांतरण पर विचार किया जाय। इस योजना की विस्तृत समीक्षा अलग से करने हेतु निदेशित किया गया।

4) राज्य योजना अन्तर्गत कार्यान्वित योजनाओं की योजनावार विवरणी को अगली बार से समीक्षा में शामिल किया जाय।

5) बिहार फ्लड मैनेजमेन्ट बोर्ड के गठन पर विचार किया जाए, जो अन्य कार्यो के साथ Irrigation Commission के सुझावों के कार्यान्वयन पर भी विचार करेगी।

6) चुनार–सोन लिंक परियोजना की संभावना पर आवश्यकतानुसार उत्तर प्रदेश सरकार से वार्ता किया जाय।

(7) विभाग की मुख्य परियोजनाओं की प्रगति को अद्यतन फोटो के साथ Website के माध्यम से जनता के सूचनार्थ प्रसारित किया जाए एवं प्रत्येक माह इसे अद्यतन किया जाय।

(8)(क) बदुआ एवं खड़गपुर जलाशय में जल अंतरण की परियोजना अप्रैल, 2027 तक पूर्ण किया जाय। इस योजना की समीक्षा प्रत्येक माह करने हेतु निदेशित किया गया।

(ख) योजनाओं के क्रियान्वयन की समीक्षा BAR चार्ट के माध्यम से करने हेतु निदेशित किया गया।

9) विभाग अन्तर्गत भारत सरकार के स्तर पर लंबित मामलों हेतु जल शक्ति मंत्रालय, नई दिल्ली से वार्त्ता की जाय।

10) केन्द्रीय प्रायोजित योजना अन्तर्गत FMBAP (बाढ़ प्रबंधन एवं सीमावर्ती क्षेत्र कार्यक्रम) की अलग से विस्तृत समीक्षा हेतु निदेशित किया गया।

11) क्षतिपूरक वनरोपण हेतु संविदा पर वन विशेषज्ञ पदाधिकारी की शीघ्र नियुक्ति की आवश्यक कार्रवाई की जाय।

12) भू–अर्जन एवं वन से संबंधित योजनाओं/मामलों में समन्वय हेतु अलग से बैठक करने का निदेश दिया गया।

ह०/–

विकास आयुक्त
बिहार सरकार

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 378 पटना, दिनांक– 12/05/24

प्रतिलिपि :– माननीय उप मुख्य (जल संसाधन) मंत्री, जल संसाधन विभाग, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, जल संसाधन विभाग, पटना के प्रधान आप्त सचिव को सूचनार्थ प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 378 पटना, दिनांक– 12/05/24

प्रतिलिपि :– अभियंता प्रमुख, मुख्यालय/अभियंता प्रमुख, सिंचाई सृजन/बाढ़ नियंत्रण एवं जल निस्सरण, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी०/योजना/21/2024 378 पटना, दिनांक– 12/05/24

प्रतिलिपि :– श्री अलोक कुमार, भू–अर्जन विशेषज्ञ, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख, मुख्याल

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी० / योजना / 21 / 2024 378 पटना, दिनांक–12/05/26

प्रतिलिपि :– संयुक्त सचिव (अभियंत्रण) / संयुक्त सचिव (प्रबंधन), जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी० / योजना / 21 / 2024 378 पटना, दिनांक–12/05/26

प्रतिलिपि :– अधीक्षण अभियंता, योजना एवं मोनिटरिंग अंचल–1 / 2 / 3 / 4 / बाढ़ / सिंचाई / CADD, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय

ज्ञापांक–1/पी०एम०सी० / योजना / 21 / 2024 378 पटना, दिनांक–12/05/26

प्रतिलिपि :–कार्यपालक अभियंता, आई०टी० केन्द्र, पटना को संबंधित सभी पदाधिकारियों को ई–मेल करने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अनु०–यथोक्त।

अभियंता प्रमुख, मुख्यालय